


फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेल लिमिटेड बनाम मैसर्स नीसा लेजन लिमिटेड

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र रिब्यू नम्बर 15/67/2017

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हूए
19.06.18	<p>आज यह प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी (प्रकरण में अप्रार्थी) उनके प्रतिनिधि कोई उपस्थित नहीं। प्रार्थी (प्रकरण में अप्रार्थी) एवं उनके प्रतिनिधि गत पेशियों से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। हमने प्रार्थना पत्र का अलवोकन किया एवं प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजात का मनन किया गया।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के संबंध में पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2017 को आदेश दिये जा चुके है कि धारा 14 सिक्योरटाईजेशन एक्ट का स्रोत सीमित है। इस में secured creditor को रहन सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु वांछित सहायता उपलब्ध करवाना होता है। ऋण देने ओर लेने वाले के बीच में रहन रखी सम्पत्ति बाबत निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। यदि आवेदक इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.2017 से आहत है तो धारा 17 में डी0आर0टी0 जयपुर में अपील करने के लिए स्वतंत्र है।</p> <p>अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.17 में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी (प्रकरण में अप्रार्थी) मैसर्स नीसा लेजर लिमिटेड जरिये जरनल मैनेजर सचिन देव यादव द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र रिब्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 19-06-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर, अलवर।</p>	